



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-15032022-234193
CG-DL-E-15032022-234193

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1116]

नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 14, 2022/फाल्गुन 23, 1943

No. 1116]

NEW DELHI, MONDAY, MARCH 14, 2022/PHALGUNA 23, 1943

रेल मंत्रालय

(रेलवे बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 मार्च, 2022

का.आ. 1156(अ).—केन्द्रीय सरकार, रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20क की उपधारा (1) के अधीन जारी, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii), तारीख 18 अक्टूबर, 2021 में प्रकाशित, भारत सरकार के रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) की अधिसूचना संख्यांक का. आ. 4329(अ), तारीख 13 अक्टूबर, 2021 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिसूचना कहा गया है), द्वारा उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि को, बिहार राज्य के गया जिले में विशेष रेल परियोजना अर्थात्, ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कोरीडोर के निष्पादन, रख-रखाव, प्रबंध और प्रचालन के प्रयोजन के लिए अर्जित करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और, उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 20क की उपधारा (4) के अधीन दैनिक समाचार पत्रों अर्थात्, हिन्दुस्तान और प्रभात खबर, तारीख 26 अक्टूबर, 2021 में प्रकाशित किया गया था;

और, कोई आक्षेप प्राप्त नहीं हुए थे तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा उन पर विचार किया गया और तदनुसार आदेश पारित कर दिए गए हैं;

और, उक्त अधिनियम की धारा 20ड की उपधारा (1) के अनुसरण में सक्षम प्राधिकारी ने अपनी रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत कर दी है;

अतः अब केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी से उक्त रिपोर्ट के प्राप्त होने पर और रेल अधिनियम, 1989 की धारा 20ड की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जित की जाएगी;

और यह कि केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 20ड की उपधारा (2) के अनुसरण में यह घोषणा करती है कि राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने पर इससे उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर केन्द्रीय सरकार में आत्यंतिक रूप से निहित हो जाएगी।

अनुसूची

बिहार राज्य के गया जिले में विशेष रेल परियोजना, अर्थात् इस्टर्न डेडीकेटेड फ्रेट कोरीडोर के लिए संरचना सहित या उसके रहित अर्जित की जाने वाली भूमि का संक्षिप्त विवरण।

जिला: गया

क्रम सं.	मौजा का नाम	थाना नं.	खाता नं.	प्लॉट नं.	प्रभावित रकबा		भूमि का पकार	भूमि की प्रकृति	भूमि के मालिक/हितबद्ध व्यक्तियों का नाम
					हेक्टेयर में	एकड़ में			
1	कुजापी	185	351	2757	0.1346	0.3325	भीठ	रैयती	त्रिलोकी महतो स्व० जगदीश महतो, जगदेव बाबूलाल महतो।
2			114	2762	0.0385	0.0952	भीठ	रैयती	सेहन प्रसाद पिता रामजतन वेलदार।
3	गेरे	252	211	1191	0.0197	0.0487	धनहर 2	रैयती	अनिल सिंह, लोभी सिंह, जितेन्द्र सिंह, कारु सिंह पिता बिरजा सिंह।
4	मनपुर वार्ड सं० — 31	250	876	501	0.0870	0.2150	धनहर 1	रैयती	हरिराम पान्डे।
5	कण्डी नवादा	189	100	1717	0.0283	0.0700	भीठ 2	रैयती	राज यादव, विश्वनाथ यादव पिता झरी यादव।
6	कण्डी नवादा वार्ड सं०— 1	189	7	546	0.1061	0.2600	परती	रैयती	परमेश्वर भदानी, शैलेश भदानी पिता ओमप्रकाश भदानी।
7	डुबुर	252	237	73	0.0040	0.0106	धनहर	रैयती	राजेश कुमार रंजन पिता नेमन सिंह।
8			89	414	0.0016	0.0040	धनहर	रैयती	रामजी साव पिता स्व० महादेव यादव।
9			180	469	0.0100	0.0240	धनहर	रैयती	लालमणी देवी पति दिनेश सिंह।
10	बगई	660	28	489	0.1000	0.2471	धनहर	रैयती	रेयाज उद्दीन वो सेराज उद्दीन वो आईनउलहक वो जैनुल हक पिता वसारथ मियां।

[फा. सं. 2022/एलएमएल-II/12/2/ईसी/2282]

पंकज त्यागी, कार्यकारी निदेशक (भूएवं सु.)

MINISTRY OF RAILWAYS

(Railway Board)

NOTIFICATION

New Delhi, the 7th March, 2022

S.O. 1156(E).—Whereas, by the notification of the Government of India, in the Ministry of Railways (Railway Board), number, S.O. 4329(E), dated the 13th October, 2021, published in Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 18th October, 2021 (hereinafter referred to as the said notification) under sub-section (1) of section 20A of the Railways Act, 1989 (24 of 1989) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the schedule annexed to the said notification for execution, maintenance,

management and operation of Special Railway Project namely, Eastern Dedicated Freight Corridor in the district of Gaya in the State of Bihar;

And whereas, the substance of the said notification was published in daily newspapers Hindustan and Prabhat Khabar, dated the 26th October, 2021 under sub-section (4) of section 20A of the said Act;

And whereas, no objections were received and the same have been considered and accordingly orders have been passed;

And whereas, in pursuance of sub-section (1) of section 20E of the said Act the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 20E of the Railways Act, 1989, the Central Government hereby declares that the lands specified in the schedule annexed hereto shall be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 20E of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the official Gazette the land specified in the schedule annexed hereto shall vest absolutely in the Central Government free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired with or without structure for the Special Railway Project namely, Eastern Dedicated Freight Corridor in district Gaya in the State of Bihar.

DISTRICT: GAYA

S. No.	Name of Mouza	Thana No.	Khata No.	Plot/ Survey No.	Affected Area		Type of Land	Nature of Land	Name of Land Owner/Interested Persons
					(In Ha)	(In Acre)			
1	Kujapi	185	351	2757	0.1346	0.3325	Bhit	Private	Triloki Mahto Late Jagdish Mahto, Jagdev Babulal Mahto.
2			114	2762	0.0385	0.0952	Bhit	Private	Sohan Prasad S/o Ramjatan Beldar.
3	Gere	252	211	1191	0.0197	0.0487	Dhanhar 2	Private	Anil Singh, Lobhu Singh, Jitendra Singh, Karu Singh S/o Birja Singh.
4	Manpur Ward No. -31	250	876	501	0.0870	0.2150	Dhanhar 1	Private	Hariram Pandey.
5	KandiNawada	189	100	1717	0.0283	0.0700	Bhit 2	Private	Raj Yadav, Vishwanath Yadav S/o Jhari Yadav.
6	KandiNawada Ward No. -1	189	7	546	0.1061	0.2600	Parti	Private	Prameshwar Bhadani, Shailesh Bhadani S/o Omprakash Bhadani.
7	Dabur	252	237	73	0.0040	0.0106	Dhanhar	Private	Rajesh Kumar Ranjan S/o Neman Singh.
8			89	414	0.0016	0.0040	Dhanhar	Private	Ramji Saw S/o Late Mahadev Yadav.

9			180	469	0.0100	0.0240	Dhanhar	Private	Lalmani Devi W/o Dinesh Singh.
10	Bagai	660	28	489	0.1000	0.2471	Dhanhar	Private	Reyaz Uddin and Seraj Uddin and Aainul Haq and Jainul Haq S/o Wasarath Miyan.

[F. No. 2022/LML-II/12/2/EC/2282]

PANKAJ TYAGI, Executive Director (L&A)